राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

एकल पीठ दाण्डिक विविध प्रार्थना पत्र संख्या 66/2011 अन्तर्गत
एकल पीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या 455/2011
बनवारीलाल अहीर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।

आदेश दिनांक:29/4/2011

माननीय न्यायाधिपति श्री सज्जनसिंह कोठारी

श्री जितेन्द्र मित्रुका अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी उपस्थित।
श्री लक्ष्मण मीणा लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य उपस्थित।

न्यायालय द्वारा-

प्रार्थी बनवारीलाल की ओर से यह आपराधिक विविध आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थी का नाम बनवारीलाल शर्मा नहीं होकर बनवारीलाल अहीर (यादव) है। उनका दूसरा तर्क यह है कि प्रार्थी की ओर से धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिका को निर्णीत करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विरुद्व प्रसंज्ञान लेने के आदेश के विरुद्व प्रस्तुत याचिका को अस्वीकृत किया है जब कि प्रार्थी की प्रार्थना उसके विरुद्व आरोपित आरोप को रदद किये जाने की थी। फलस्वरुप इस आवेदन को स्वीकार कर प्रार्थी के नाम में उक्त अनुसार संशोधन किया जावे और इसके द्वारा धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पर विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार कर न्यायालय के

आदेश दिनांक 28/2/11 एवं अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का अवलोकन किया।

जहां तक एकल पीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या 455/2011 में पारित आदेश दिनांक 28/2/11 में प्रार्थी के नाम का उल्लेख बनवारीलाल शर्मा किये जाने का प्रश्न है, स्वयं प्रार्थी की ओर से धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जो याचिका प्रस्तुत की गयी है, उसमें प्रार्थी के नाम का उल्लेख बनवारीलाल शर्मा के रुप में किया गया था। इसी कारण न्यायालय के आदेश दिनांक 28/2/11 में भी प्रार्थी का नाम बनवारीलाल शर्मा अंकित हुआ है किन्तु अब विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पर विचार करने तथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत याचिका के साथ संलग्न दस्तावेज परिशिष्ट 5 एवं 6 का अवलोकन करने के उपरान्त यह स्थिति समक्ष आती है कि प्रार्थी का नाम बनवारीलाल शर्मा न होकर बनवारीलाल अहीर है, अतः आदेश दिनांक 28/2/11 में प्रार्थी के नाम में संशोधन करने की प्रार्थना स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि इस आदेश में जो प्रार्थी का नाम बनवारीलाल शर्मा लिखा है, उसे बनवारीलाल अहीर पढ़ा जाये।

जहां तक विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थी के विरुद्व आरोप विरचित करने के आदेश को चुनौती दिये जाने के संबंध में प्रस्तुत तर्क का प्रश्न है, प्रार्थी की ओर से धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिका का अवलोकन यह दर्शाता है कि इसके पैरा संख्या 3 एवं लिये गये आधारों में बिन्दु संख्या बी एवं सी में स्पष्ट रुप से यह अंकित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित अपराध का प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता था क्यों कि चालान/परिवाद पुलिस के उपनिरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसे अधिनियम 1950 के प्रकाश में ऐसे करने का अधिकार ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने न केवल यह संज्ञान ही लिया अपितु

धारा 19/54 अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी के विरुद्व आरोप भी विरचित कर लिये। यह सही है कि याचिका में प्रार्थी के विरुद्व लगाये गये आरोप के साथ साथ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी के यहां विचाराधीन आपराधिक प्रकरण संख्या 342/2008 की कार्यवाही को रदद एवं अपास्त करने की प्रार्थना की गयी थी किन्तु बहस के दौरा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने मुख्य तर्क केवल यही प्रस्तुत किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्व लिया गया प्रसंज्ञान ऊपर लिखित कारणों के प्रकाश में विधिसम्मत नहीं है अतः इस प्रसंज्ञान आदेश को अपास्त किया जाये। इस न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के उक्त तर्क पर ही विचार करते हुए संज्ञान आदेश में कोई अवैधता नहीं पायी किन्तु साथ ही आरोप के संबंध में प्रस्तुत तर्क का उल्लेख करते हुए यह भी अंकित किया कि विद्वान विचारण न्यायालय एवं निगरानी न्यायालय के आक्षेपित आदेशें में कोई भी अवैधता या त्रुटि नहीं है। इन आदेशों को पारित किये जाने के कारण न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माने जाने योग्य नहीं है और न ही न्याय के उददेश्य की पूर्ति हेतु इन आदेशों को अपास्त किया जाना या इनमें हस्तक्षेप कर विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रदद किया जाना ही उचित होगा। इससे स्पष्ट है कि दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्व आरोप विरचित किये जाने के आदेश की पुष्टि की गयी है। आरोप विरचित किये जाने का आदेश प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्व प्रसंज्ञान लिये जाने के आधार पर ही आधारित है।

कुल मिलाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28/2/11 का स्पष्ट तात्पर्य एवं निष्कर्ष यही है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रार्थी के विरुद्व आरोपित अपराध में लिये गये प्रसंज्ञान दिनांक 14/8/2008 तथा आरोप विरचित करने का आदेश दिनांक 24/4/2009 पूर्णतः न्यायसम्मत है जिन्हें अपास्त किया जाना या जिनमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई यथोचित कारण नहीं

है। आज भी दोनों पक्षों को इस बिन्दु पर सुनने के उपरान्त न्यायालय का यही निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालयों के प्रार्थी के विरुद्व आरोप विरचित किये जाने के आदेशों में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है और यह निर्धारित करने का कोई कारण नहीं है कि इनसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है या न्याय के उददेश्य की पूर्ति हेतु इन्हें अपास्त किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

उक्त प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह आवेदन प्रार्थी के नाम में संशोधन के संबंध में स्वीकार कर इसमें उठाये गये अन्य बिन्दुओं पर अस्वीकृत किया जाता है। यह दाण्डिक विविध आवेदन संख्या 66/2011 इस प्रकार निस्तारित किया जाता है।

(सज्जनसिंह कोठारी)

/राम/